भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
7वां तल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

परिपत्र

सं. आई.बी.बी.आई./आर.वी./75/2024 **12 अगस्त, 2024**

सेवा में,
समस्त रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक एजेंसी
समस्त मान्यताप्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं, और
समस्त रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन
(रजिस्ट्रीकृत ईमेल पतों पर मेल द्वारा और आई.बी.बी.आई. की वैबसाइट पर)

महोदय/महोदया
विषयः दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट पहचान संख्यांक का सृजन ।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(आई.बी.बी.बी./प्राधिकरण) को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 के साथ पठित नियमों के लिए रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के रजिस्ट्रीकरण, मानिटरिंग और विकास के लिए कंपनी(रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अधीन एक प्राधिकारी के रूप में अभिहित किया गया है । इस समय, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता(संहिता) के उपबंधों के अधीन कोई भी मूल्यांकन किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक(आर.वी.)/रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संस्था(आर.वी.ई.) द्वारा ही किया जाएगा ।

2. वर्तमान में, आर.वी./आर.वी.ई. अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट पूरी करने के पश्चात् किसी संदर्भ संख्यांक के उल्लेख सहित या उसके बिना प्रस्तुत करते हैं । मूल्यांकन रिपोर्टों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने और उनका एक सुभिन्न संदर्भ संख्यांक रखने की दृष्टि से, संहिता के अधीन किए गए प्रत्येक मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट पहचान संख्यांक(वी.आर.आई.एन.) प्रदान करने का विनिश्चय किया गया है ।

3. तदनुसार, आई.बी.बी.आई. द्वारा रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठनों के परामर्श से एक ऑनलाइन माड्यूल तैयार किया गया है । यह माड्यूल आई.बी.बी.आई. की वैबसाइट https://ibbi.gov.in पर होस्ट किया गया है । आर.वी./आर.वी.ई., आई.बी.बी.आई. द्वारा पहले से प्रदान किए गए लॉगिन निर्देशांक की सहायता से इस माड्यूल तक पहुंच बना सकेंगे । संबंधित आर.वी./आर.वी.ई., मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व, प्रत्येक मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए एक सुभिन्न वी.आर.आई.एन. सृजित करेंगे । आर.वी./आई.वी.ई. मूल्यांकन रिपोर्ट के अग्र पृष्ठ पर वी.आर.आई.एन. का उल्लेख करेंगे ।

4. आई.बी.बी.आई. की वैबसाइट पर हितधारकों को वी.आर.आई.एन. का प्रयोग करके रिपोर्ट की प्रामाणिकता को सत्यापित करने की सुविधा भी प्रदान की जी रही है ।

5. यह परिपत्र उन सभी मामलों को लागू होगा जहां मूल्यांकन रिपोर्ट की तारीख इस परिपत्र की तारीख या उसके पश्चात् की तारीख है । दिवाला व्यावसायिक, इन सभी मामलों में वी.आर.आई.एन. के बिना किसी मूल्यांकन रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेंगे ।

6. यह परिपत्र दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 196 के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए विनियमों और मूल्यांकन नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है ।

भवदीय

(बी. शंकरनारायणन्)

महाप्रबंधक